Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

अल्पना जैन बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **092** सन् **2025**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन, निवासी फ्लैट नंबर 502 हिंतावाला टॉवर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा उदयपुर जिला उदयपुर (राज ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जिले के विभिन्न **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को जरिये रजिस्टर्ड डाक के आवेदन पत्र दिनांक 15.08.2025 प्रेषित किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/183 दिनांक 20.08.2025 से **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया है। उक्त तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने प्रथम अपील आवेदन दिनांक 10.10.2025 में स्वीकार कर अंकित किया है एवं इस संबंध में संदर्भित पत्र दिनांक 20.08.2025 की छायाप्रति प्रस्तुत की जाकर हस्तगत प्रथम अपील **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की जाकर अवगत कराया गया है कि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** को द्वारा आवेदन–पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है, चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवदेन पत्र दिनांक 15.08.2025 के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही किया जाना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित है, एवं प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन ही **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जिले के विभिन्न **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं उप–निदेशक सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अधीनस्थ **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।

-S/D-
(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
21.10.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official